

प्रेषक,

एल० वेंकटेश्वरलू  
सचिव एवं राहत आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
गोरखपुर।

राजस्व अनुभाग—10

लखनऊ : दिनांक : 30 मार्च, 2013

विषय: जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के अन्तर्गत कोलखास, जगदीशपुर, कोटियादीपशाह आदि गाँवों के निवासियों को बसाने/पुनरस्थापित किये जाने हेतु भूमि खरीदकर/क्रय करने के लिए धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—37/आपदा, दिनांक 29 नवम्बर, 2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के अन्तर्गत कोलखास, जगदीशपुर, कोटियादीपशाह आदि गाँवों के निवासियों को बसाने/पुनरस्थापित किये जाने हेतु नियमानुसार भूमि खरीदकर/क्रय करने के लिए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि रु० 63,02,360/- (रुपये तिरसठ लाख दो हजार तीन सौ साठ मात्र) आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा, तथा यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो कोषागार में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा।


3. उक्त धनराशि का व्यय राजस्व विभाग के भूमि अधिग्रहण/क्रय सम्बन्धी सुसंगत शा० एवं तीव्र बाढ़ में बह जाने वाले ग्रामों के विस्थापित व्यक्तियों को पुनरस्थापित किये जाने हेतु भूमि का क्रय कर निःशुल्क आवंटन कराये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या—2010/1-10-2012-33(37)/12-टी०सी०-१, दिनांक 31 जुलाई, 2012 में उल्लिखित व्यवस्था/दिशा-निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण—पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या—42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

5. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

6- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीषक "4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-00-101-प्राकृतिक आपदाये-08-प्रदेश में विस्थापितों के पुनर्वास हेतु भूमि क्य-00-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या- E-5-612/X-2013, दिनांक 28 मार्च, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,  
एल० वेंकटेश्वर लू  
सचिव एवं राहत आयुक्त  


संख्या - 667(1) / 1-10-2013-33(156) / 12, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम / आडिट प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद
- 2- मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- ✓5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, गोरखपुर।
- 7- वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5।
- 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा), / समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10 / राजस्व अनुभाग-6 / राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व, उ0प्र0 शासन।
- 10- गार्ड फाइल।

अनुभाग-  
( विनोद चुमार शर्मा )  
अनु सचिव।  
